

प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस रिलीज़ नं. 67/2024)

तत्काल जारी करने के लिए


भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)

TRAI ने SMS ट्रैफिक के लिए श्वेतसूचीबद्ध URL/APKs या OTT लिंक अनिवार्य किए

नई दिल्ली, 26 सितंबर 2024 - संदेशों में URL (यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर) के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 20 अगस्त 2024 को एक निर्देश जारी किया, जिसमें सभी एक्सेस प्रदाताओं को श्वेतसूची में शामिल न किए गए URL, APK (एंड्रॉइड पैकेज किट) या OTT (ओवर द टॉप) लिंक वाली किसी भी ट्रैफिक को अवरुद्ध करने के निर्देश दिए गए। यह निर्देश 1 अक्टूबर 2024 तक लागू हो जाएगा।

URL वाले SMS ट्रैफिक के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए TRAI ने पंजीकृत प्रेषकों को सलाह दी है कि वे अपने श्वेतसूचीबद्ध URL/APK/OTT लिंक को संबंधित एक्सेस प्रदाताओं के पोर्टल पर जल्द से जल्द अपलोड करें। अब तक 3000 से अधिक पंजीकृत प्रेषक इस आवश्यकता का पालन कर चुके हैं और 70000 से अधिक लिंक श्वेतसूचीबद्ध कर चुके हैं। जो प्रेषक अपनी लिंक को नियत तिथि तक श्वेतसूचीबद्ध नहीं करेंगे, वे URL/APK/OTT लिंक वाले कोई भी संदेश नहीं भेज पाएंगे।

TRAI की यह पहल उपभोक्ताओं को दुर्भावनापूर्ण लिंक वाले अवांछित संदेशों से सुरक्षित रखने और एक पारदर्शी व सुरक्षित संचार प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इन नए नियमों का पालन करके एक्सेस प्रदाता और पंजीकृत प्रेषक दोनों एक अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित संदेशिंग वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं।


26/09/24
(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, TRAI